न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ओ.पी.बिश्नोई, आर.ए.एस.

अपील संख्या 67/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/ 73)

1. श्यामकरण पुत्र रामकरण जाति ब्राहमण निवासी हर्षो का चौक, नयाशहर बीकानेर।
2. मधु पत्नी श्यामकण पुत्रवधु रामकरण जाति ब्राहमण निवासिनी हर्षो का चौक, नयाशहर बीकानेर।

अपीलान्ट्स

बनाम

1. शिव कुमार हर्ष पुत्र श्री रामकरण हर्ष जाति ब्राहमण निवासी पुष्करणा स्कूल के पास, घेरूलाल कुऐ के पीछे, बीकानेर।
2. सविता पुत्री रामकरण पत्नी सूरजरतन जाति ब्राहमण निवासिनी इण्डस्ट्रीयल एरिया, रानी बाजार, बीकानेर।
3. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः
1. श्री नन्द किशोर गांधी – अभिभाषक अपीलान्ट्स
2. श्री मदन मोहन रंगा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 25.01.2024**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ, अपील संख्या 14/2020 के निर्णय दिनांक 12.10.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।

2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 शिवकुमार ने अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ में चक 14 एस टी जी पटवार हल्का डबली मौलवी तहसीलदार हनुमानगढ द्वारा स्वीकृत इंतकाल सं. 120 दिनांक 15.12.1990 के विरूद्व अपील प्रस्तुत कर उक्त इंतकाल को निरस्त फरमाया जाकर वाके चक 14 एस टी जी पं. नं. 83/293 मुरब्बा नं. 37 किला नं. 6, 7, 8, 11 ता 25 कुल 4.327 है0 भूमि पर 1/3 हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया। जिस पर अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.10.2022 द्वारा पत्रावली तहसीलदार हनुमानगढ का रिमाण्ड कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट्स श्यामकरण

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

वगैरह द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12.10.2022 को अपास्त करने का निवेदन किया।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट सं. 2 को जरिये नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्व एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि सूर्यकरण पुत्र किसन गोपाल जाति ब्राहमण निवासी डबली के नाम से एक खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 14 एसटीजी पटवार हल्का डबली बास मौलवी के मुरब्बा नं. 37 की 4.327 हैक्टेयर कृषि भूमि थी, यह जमीन उसकी स्वय की खरीद शुद्वा भूमि थी। जिसका इंतकाल अपीलान्ट्स के नाम से सूर्यकरण द्वारा अपीलान्ट्स के पक्ष में दिनांक 12.08.1985 की वसीयत के आधार पर इंतकाल सं. 120 दिनांक 15.12.1990 को तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ के द्वारा दर्ज कर दिया गया था, तबसे अर्थात 32 साल पूर्व इंतकाल दर्ज होने के बाद ही अपीलान्ट्स का नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज है। वसीयत दिनांक 12.08.1985 पंजीबद्व है जो आज दिनांक तक वैध है तथा किसी भी संक्षम न्यायालय द्वारा वसीयत को निरस्त नही किया गया है। वसीयत मे वर्णित भूमि मृतक सूर्यकरण की स्वअर्जित भूमि होने के कारण एवं वसीयत में वर्णित भूमि के संबध मे अपीलान्ट्स के अलावा किसी अन्य का कोई हक हित नही होने के कारण रेस्पोडेन्ट सं. 1 तृतीय पक्ष के रूप में अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी नही था और ना ही धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र में उसने अपने आपको तृतीय पक्षकार बनने को कोई स्पष्टीकरण दिया था। रामकरण सूर्यकरण का लड़का है, उसमें शिवकुमार का कोई जन्मजात हिस्सा न तो होता है व न ही हो सकता है। ये हितबद्व पक्षकार नही है। पोता का हिस्सा बाप की मौजूदगी मे नही मिलता है। पानी की पर्ची एवं रेवेन्यू रिकार्ड एवं पटवारी रोजनामाचा से संबधी समस्त दस्तावेजात भी अपीलान्ट्स के नाम पर है, अपीलान्ट्स ही उक्त भूमि के खातेदार है, एवं कब्जा काश्त कर रहे है। वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज किया जाना

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

उचित है। वसीयत का रजिस्ट्रेशन व प्रोबेट राजस्थान मे आवश्यक है। रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा केवल अपीलान्ट्स को तंग व परेशान करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश की गई थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने इंतकाल सं. 120 दिनांक 15.12.1990 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 05.10.2020 को स्पष्टतया मियाद बाहर अपील पेश की, जबकि रेस्पोडेन्ट सं. 1 को उक्त इंतकाल की जानकारी शुरू से थी। रेस्पोडेन्ट सं. 1 का प्रार्थना पत्र धारा 5 झूठा था। अधीनस्थ न्यायालय ने स्पष्टतया मियाद बाहर अपील को उक्त प्रश्न को तय किये बिना ही जो अपील निर्णित की है वो उचित नही है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.10.2022 को अपास्त किया जावे। अपीलान्ट्स के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में 2014 DNJ (SC) पृष्ठ 310, AIR 2005 SUPREME COURT पृष्ठ 3460, AIR 1986 SUPREME COURT पृष्ठ 1753, AIR 1987 SUPREME COURT पृष्ठ 558, RRD 2000 पृष्ठ 556, RRD 2002 पृष्ठ 280, RRD 2008 पृष्ठ 383, RRD 2001 पृष्ठ 47, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि चक 14 एसटीजी पटवार हल्का डबली बास मौलवी में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के दादा स्व. सूर्यकरण के नाम 4.327 हैक्टेयर कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड थी, जो उनको अपने पिता श्री कृष्ण गोपाल से विरासतन प्राप्त हुई थी। सूर्यकरण ने अपने जीवनकाल मे उक्त भूमि बाबत कोई वसीयत नही की थी। परन्तु अपीलान्ट ने फर्जी तरीके से उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन अपने नाम करवा लिया। उक्त भूमि पैतृक कृषि भूमि में समस्त वारिसान का हक व अधिकार निहित है। समस्त वारिसानो को बिना कोई सूचना दिये अपीलाधीन इंतकाल दर्ज कर दिया। उक्त तथाकथित वसीयत फर्जी वसीयत थी। अधीनस्थ न्यायालय में मूल वसीयत की प्रति पेश ही नही की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय ने कई मौका दिये मूल वसीयत की प्रति पेश करने की फिर भी मूल की प्रति पेश नही की गई। सभी दस्तावेजो में सूरजकरण के हस्ताक्षर है तो फिर यह सूर्यकरण केसे बन गया। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली तहसीलदार हनुमानगढ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

को रिमाण्ड कर प्रभावित पक्षकार को सुनवाई का अवसर देकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने का आदेश दिया जो सही है। अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक ने अपने पक्ष के समर्थन में RRD 2008 (HC) पृष्ठ 186–187, RRD 1994 पृष्ठ 464–465, RRD 1994 पृष्ठ 494–495, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ विश्लेषण किया। प्रस्तुत अपील अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 12.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है जिसमे अपीलाधीन ईन्तकाल संख्या 120 दिनांक 15.12.1990 की सम्बधित भूमि को तहसीलदार हनुमानगढ को रिमाण्ड कर पुनः निर्णय पारित करने का आदेश दिया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा ईन्तकाल संख्या 120 दिनांक 15.12.1990 के विरूद्व अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 05.10.2020 को अपील प्रस्तुत की गई जो लगभग 30 साल बाद स्पष्ट रूप से म्याद बाहर थी। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत दफा–5 म्याद अधिनियम मे दिनांक 04.09.2020 को अपीलाधीन इन्तकाल की नकल प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर प्रकरण की जानकारी होना बताया जो ठोस, विश्वसनीय व पर्याप्त (SUFFICIENT CAUSE) की श्रेणी मे नही आता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी म्याद बिन्दु के संबध में प्रतिपादित किया है कि :

IN THE SUPREME COURT OF INDIA, CIVIL APPELLATE JURISDICTION,CIVIL APPEAL NOS. 6414-6417 OF 2008 (Arising out of SLP(c) Nos.201011-21014 of 2007) Pundlik Jalam Patil (D) by Lrs. Versus Exe.Eng.Jalgaon Medium Project & Anr.

"For the aforesaid reasons, we hold that the high court gravely erred and excercised its discretion to condone the inordinate delay of 1724 days though no sufficient cause has been shown by the applicants. It is for that reason, we interfere

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
बीकानेर

with the decision of the high court and set aside the same. The appeals are accordingly allowed without any orders as to costs."

इसके साथ रेस्पोडेन्ट मूल वसीयत की प्रति उपलब्ध नही होने का प्रश्न उठा रहे है जबकि अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा वरवक्त बहस मूल वसीयत प्रति न्यायालय में दिखाई गई, तथा न्यायालय द्वारा मूल वसीयत का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि वसीयत सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त किए जाने के संबध मे भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नही है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2022 को कायम रखा जाना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12.10.2022 को निरस्त किया जाता है। तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 25.01.2024 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
बीकानेर